

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

- संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4499	ठाकुर तेज बहादुर सिंह इंस्टी० ऑफ टेक्नो०, गाजीपुर	मिडिल इंजी० इलेक्ट्रिकल इंजी० मेकैनिक्कल इंजी०(ऑटो) मेकैनिक्कल इंजी०(अग्रेट) कम्प्यूटर साइंस एंवक इंजी०	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितिओं तथा उप समितिओं, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।



College Code : 4499

9598634835

THAKUR TEJ BAHADUR SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Promoted By.: Thakur Tej Bahadur Singh Foundation

Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Board of Technical Education U.P., Lucknow

Ref.

Date.....

INFO/ttbsit/20-21/48

सेवा में,

सचिव

प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषय -सेशन 2020-2021में एआईसीटीई द्वारा अप्रुवल के संबंध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि सेशन 2020-2021 में हमारी संस्था को एआईसीटीई द्वारा अप्रुवल नहीं मिला था और यह नो एडमिशन डेयर था।

अतः उपरोक्त को संज्ञान में लेने की कृपा करें।

jarhant
Principal

Thakur Tej Bahadur Singh Institute of Technology
Karampur, Saidpur-Ghazipur

कार्यालय,

उच्च. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ:
दिनांक:
09/08/2021

:-कार्यालय स्तर:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संपादित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4499-THAKUR TEJ BAHADUR SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY VILL-KARAMPUR,POST-KARAMPUR,SAIDPUR,GHAZIPOUR-233221

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	60	60
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।